📢 इस संदेश को फैलाने में हमारी मदद करें!

प्रिय छात्रों,

हिंदी माध्यम के छात्रों को अपडेट रहने और अपनी अंग्रेजी सुधारने में मदद करने के लिए हम द हिंदू अखबार का हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं।

कृपया इस वेबसाइट https://epapers.netlify.app/ को अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ साझा करें ताकि अधिक छात्र लाभ उठा सकें।

लक्ष्यः जैसे ही **1,000 छात्र जुड़ेंगे,** आपको **हर दिन सुबह 6 बजे से पहले अखबार** मिलना शुरू हो जाएगा!

आपका सहयोग देश भर के हजारों हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए, मिलकर इस शिक्षण समुदाय को आगे बढ़ाएँ!

🥞 धन्यवाद पढ़ते और सीखते रहिए!

तेलंगाना में पिछड़ी जातियों के लिए 42% कोटा लागू करने संबंधी विधेयक पारित

इसी आशय के दो विधेयक और एक अध्यादेश राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं।

तेलंगाना विधानसभा ने रविवार को दो विधेयक पारित करके स्थानीय निकायों के चुनावों में पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए 42% आरक्षण लागू करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया: तेलंगाना नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2025, और तेलंगाना पंचायत राज (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2025।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब इसी आशय के दो विधेयक और एक अध्यादेश राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं।

विधायी कार्य मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने नगरपालिका संशोधन विधेयक और पंचायत राज मंत्री दानसारी अनसूया सीथक्का ने पंचायत राज संशोधन विधेयक पेश किया।

श्रीधर बाबू ने कहा कि अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में है, जबकि पिछड़े वर्गों के लिए कोटा इस शर्त के अधीन है कि एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों के लिए कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

सरकार ने राज्य के सभी परिवारों से वैज्ञानिक आँकड़े प्राप्त करने के लिए सामाजिक-आर्थिक, शिक्षा, रोज़गार, राजनीतिक और जातिगत सर्वेक्षण कराया था।

विपक्ष ने उठाए सवाल

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और भाजपा ने सवाल उठाए कि सरकार ऐसे समय में आरक्षण कैसे लागू करने की योजना बना रही है जब केंद्र ने अभी तक पिछले विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं दी है।

बीआरएस सदस्य जी. कमलाकर ने कहा कि बीआरएस पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में है, लेकिन उन्होंने कानूनी बाधाओं को लेकर चिंता जताई। उन्होंने बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों का उदाहरण दिया जहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में इसी तरह के विधेयक पारित नहीं हो सके।

भाजपा नेता पायल शंकर ने कहा कि पार्टी विधेयकों के समर्थन में है, लेकिन स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पाँच वर्षों में पिछड़ी जातियों के लिए ₹1 लाख करोड़ के बजटीय आवंटन का वादा किया था, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।